

डिप्टी बमुकदमें इब्तदाई  
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :-

1. कालूसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत उम 51 वर्ष निवासी राजपूतों का बास, घोडावड तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. उदयसिंह पुत्र श्यामसिंह
2. चांदसिंह पुत्र श्यामसिंह
3. मूलकंवर पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासीगण राजपूतों का बास घोडावड तहसील जैतारण जिला-ब्यावर राज.
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला ब्यावर

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0- 71/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे खसरा नम्बर 148, 148/1, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 165, 166, 182, 464, 466, 467, 547, 548, 549, 552, 553, 554, 557, 268, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 369, 370, 529, 534, 378, 206, 180, 181, 184, 191, 192, 197, 198, 201, 202, 205, 211, 212 आई हुई है, के भू-अभिलेख में अंकित "मोहनसिंह पुत्र श्यामसिंह" को विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि "कालू सिंह पुत्र श्याम सिंह" को दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार जैतारण इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	2.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	6.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्ली के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।